संख्या– /XXVIII(5)/2025 (E-33660)

प्रेषक,

डॉ0 आर0 राजेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा निदेशालय,
देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांक मार्च, 2025
विषय– केन्द्रपोषित योजनान्तर्गत प्रस्तावित राजकीय मेडिकल कॉलेज, रूद्रपुर के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त आपके पत्र संख्या–1357/12/23/2019/Vol-II दिनांक 28 मार्च, 2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत प्रस्तावित राजकीय मेडिकल कॉलेज, रूद्रपुर के निर्माण कार्यो हेतु अनुमोदित/संस्तुत धनराशि ₹ 336.89 करोड़ के सापेक्ष कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम को अवमुक्त धनराशि ₹ 208.2245 करोड़ को सम्मिलित करते हुए विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से SNA में स्थानान्तरित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024–25 में रूद्रपुर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में **कुल ₹ 75,00,00,000/– (₹ पिचहतर करोड़ मात्र)** को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

i. शासनादेश संख्या–424/XXVIII(5)/2021-20(मे0का0)/2020 दिनांक 26 मार्च, 2021 में उल्लिखित शर्त/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगी।
ii. उक्त व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में समस्त प्रचलित वित्तीय नियमों/शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2 – वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों

का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

Signed by
Rajan Rajesh Kumar
Date: 29-03-2025 14:50:07

भवदीय,

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार),

सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून
2. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
3. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, रूद्रपुर।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।